

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक 1039 / यों.प्र./तक.स्वी./रायगढ़ / 2016

यात्रिकी प्रकोष्ठ

बिलासपुर दिनांक: 29/11/2016

आयुक्त  
नगर पालिक निगम,  
जिला- रायगढ़ (छ.ग.)  
विषय :- निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति बाबत।  
संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक- 303, दिनांक 26.11.2016.

विषयान्तर्गत आयुक्त नगर पालिक निगम- रायगढ़ मिशन क्लीन सिटी मद अंतर्गत निर्माण कार्यों के तकनीकी स्वीकृति हेतु प्राप्त प्राक्कलनों का परीक्षण उपरान्त निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है

क.	कार्य विवरण	SOR	मद	प्राक्कलि त राशि (लाख में)
1	जोन क्र. 01 एसएलआरएम सेंटर निर्माण कार्य	PWD Building SOR, 01-01-2015	मिशन क्लीन सिटी	23.62
2	जोन क्र. 02 एसएलआरएम सेंटर निर्माण कार्य	PWD Building SOR, 01-01-2015	मिशन क्लीन सिटी	23.62
3	जोन क्र. 03 एसएलआरएम सेंटर निर्माण कार्य	PWD Building SOR, 01-01-2015	मिशन क्लीन सिटी	23.62
4	जोन क्र. 04 एसएलआरएम सेंटर निर्माण कार्य	PWD Building SOR, 01-01-2015	मिशन क्लीन सिटी	23.62
5	जोन क्र. 05 एसएलआरएम सेंटर निर्माण कार्य	PWD Building SOR, 01-01-2015	मिशन क्लीन सिटी	23.62

नोट :-

1. संचालनालय के दिशा-निर्देशानुसार निविदाओं का प्रकाशन विभाग की वेब-साईट में आवश्यक कराया जावे। अन्यथा की स्थिति में मुख्य नगरपालिका अधिकारी स्वयं जवाबदार रहेगे।
2. निर्माण कार्यों की सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति/प्रेसीडेंट इन काउंसिल/परिषद/कलेक्टर अथवा सक्षम प्राधिकारी से ली जावें।
3. प्रत्येक कार्य की तकनीकी स्वीकृति की राशि में NON SOR की राशि रु.1.15लाख सम्मिलित नहीं है, निकाय स्तर पर दर विश्लेषण कर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की जावे।
4. एसएलआरएम सेंटर निर्माण कार्य के स्ट्रक्चर डिजाईन कराकर निर्माण कार्य कराया जावे।
5. स्थल पर किये गये वास्तविक निर्माण कार्य का ही भुगतान किया जावें।
6. प्रशासकीय स्वीकृति एवं शासन से आबंटन प्राप्त किये बिना कार्यादेश जारी नहीं करें।
7. तकनीकी स्वीकृति का आशय भू-स्वामित्व की पुष्टि नहीं समझा जावें।
8. तकनीकी स्वीकृति जारी दिनांक के बाद की निविदाओं में यह स्वीकृति प्रभावशील होगी।
9. निर्माण कार्य निकाय/शासकीय की भूमि पर किया जावे। अन्य विभागों की भूमि होने पर सक्षम स्वीकृति पश्चात् कार्य कराया जावे।
10. निर्माण कार्य के पूर्व स्थल मानचित्र तैयार कर लिया जावे।
11. जिस मद हेतु तकनीकी स्वीकृति लिया जाता है, उसी मद में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे।

अधीक्षक अभियंता  
नगरीय प्रशासन एवं विकास  
बिलासपुर (छ.ग.)